न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/2025

प्रार्थीनी :–

1. पार्वती पुत्री स्व. पोलाराम पत्नि शंकरराम जाति मेघवाल निवासी तेलियों की गली, सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. श्रीमती शांति पत्नि जगाराम
2. हेमाराम पुत्र स्व. पोलाराम
3. जगाराम पुत्र स्व. पोलाराम, सभी जातियान् मेघवाल निवासीगण तेलियों की गली, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
4. ओमी पुत्री स्व. पोलाराम पत्नि चिमनाराम, जाति मेघवाल, निवासी तेलियों की गली, सालावास, हाल निवासी उत्तेसर तहसील लूणी।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीनी की ओर से :– अधिवक्ता ईश्वर सिंह उपस्थित
2. अप्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता दिवाकर शर्मा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

दिनांक :– 10-6-2025

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए 53, 188 बाबत खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। खेत खसरा संख्या 237 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 51/4 मीन रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 399 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि मौजा सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में उक्त कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में मगनाराम पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज थी। मगनाराम पुत्र तुलछाराम प्रार्थीनी के दादा थे, उनका देहान्त होने के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान् पोलाराम व घेवरराम के नाम दर्ज हुई। पोलाराम व घेवरराम ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया तथा पोलाराम के बंट में भूमि खसरा नम्बर 237/1 रकबा 2.7357 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 399 रकबा 0.8013 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 51/4 रकबा 1.8696 हैक्टेयर भूमि आई परन्तु पोलाराम जी जो प्रार्थीनी के पिता है, उनको उक्त कृषि भूमि विरासत से प्राप्त हुई। इस कारण पोलाराम के बंट में आई हुई भूमि में से प्रार्थीनी का 1/5 हिस्सा बनता है तथा मौके पर प्रार्थीनी 1/5 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी के पिता पोलाराम का भी 1/5 व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का यानि प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पैतृक भूमि है। प्रार्थीनी मगनाराम जी की पौत्री होने के कारण पैतृक भूमि में प्रार्थीनी का पोलाराम के बंट में आई हुई भूमि में से 1/5 हिस्सा बनता है। इस कारण प्रार्थीनी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रही है।

इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है, आज दिन तक उक्त भूमि का लगान प्रार्थीनी अपने हक व हिस्से के अनुसार अदा करती आ रही है। प्रार्थीनी के पिता पोलाराम अकेले को उक्त सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बख्शीशनामा निष्पदित करने का हक व अधिकार नहीं था पोलाराम ने पैतृक भूमि होने के नाते मगनाराम जी से प्राप्त हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बख्शीश कर दिया इस कारण उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीनी को आगे बेचने की धमकी दे रहे है तथा उक्त भूमि को वेचान पर उतारू है। प्रार्थीनी ने उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी धन व्यय किया है अगर मौके पर से प्रार्थीनी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीनी को भारी अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति करना भी असंभव है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीनी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी कर रहे है उक्त भूमि को बेचने व भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे है इस कारण प्रार्थीनी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता दिवाकर शर्मा ने अपना वकालत नामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने–अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पोलाराम द्वारा अपने जीवनकाल में शांति व हेमाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निष्पादित कर उपरोक्त जायदाद के सम्पूर्ण हक अधिकार शांति व हेमाराम मे निहित कर दिये थे उक्त बख्शीशनामा में साख के रूप में साख 1 में प्रताप दैया पुत्र सोनाराम दैया, जाति मेघवाल, निवासी गली नंबर 4. राममौहल्ला रोड़, नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर साख 2 में श्रीमती ओमली पुत्री पोलाराम, पत्नि चिमनाराम, जाति मेघवाल, निवासी मण्डी रास्ता, उत्तेसर, पीपरली, जोधपुर साख 3 प्रार्थीया खुद श्रीमती पार्वती पुत्री पोलाराम, पत्नी शंकर जाति मेघवाल निवासी रामनगर, झालामण्ड जोधपुर राज. तथा साख 4 में जगाराम पुत्र पोलाराम जाति मेघवाल निवासी सालावास की है।

प्रार्थी के द्वारा अपने पद में पोलाराम व घेवरराम, जो कि मगनाराम के पुत्रगण है के मध्य बंटवाडा कर लिया गया था। उक्त कथन के आधार पर विवादग्रस्त जायदाद संयुक्त जायदाद ना होकर के विभाजन के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णयों के अनुसरण में सम्पति निजी सम्पति की श्रेणी में मानी जाती है तथा विभाजन के पश्चात स्वयं के हिस्से में आई भूमियों का नियोजन विभाजन में प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार विभाजन के पश्चात विवादग्रस्त कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमि ना होकर के पोलाराम की एकलखातेदारी की भूमि है, जिसके बाबत् पोलाराम को कानूनी रूप से स्वयं की कब्जे, काश्त एवं एकलखातेदारी की भूमि के बाबत् बख्शीशनामा निष्पादित करवाया था जिसके संबंध में प्रार्थीनी को पूर्णतया जानकारी थी। विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा, काश्त अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश 04.03.2025 को निरस्त कर पुनः पक्षकारों को सुनते हुए आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी 4 श्रीमती ओमली पुत्री स्व.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पोलाराम पुत्र चिमनाराम द्वारा शपथ पत्र पेश कर कथन किया यह है कि विवादग्रस्त भूमि के बाबत बख्शीशनामा का दस्तावेज दिनांक 01.01.2024 को निष्पादित करवाया था जिसके बारे में मुझ शपथकर्ता व पार्वती को पूर्ण रूप से जानकारी थी। दस्तावेज निष्पादनकर्ता ने दस्तावेज के निष्पादन के समय मुझ शपथकर्ता व पार्वती को यह अवगत करवाया गया था कि यह दस्तावेज उपरोक्त खातेदारी की भूमियों में बख्शीशनामा का दस्तावेज है। निष्पादनकर्ता ने मुझ शपथकर्ता व पार्वती के समक्ष निष्पादन के बाबत् अंगुठा निशान किये थे तथा निष्पादन के साक्षी के रूप में मुझ शपथकर्ता व पार्वती के द्वारा निष्पादनकर्ता के सामने बतौर गवाह के रूप में अंगुठा निशान किये थे।

अप्रार्थी संख्या 1 शांति देवी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में पारित निर्णय अस्थायी स्थगन आदेश दिनांक 04.03.2025 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील अनवान शांतिदेवी व अन्य बनाम पार्वती वगैरह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दायर की गई। उक्त अपील में **माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय 15.04.2025 के द्वारा विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र संख्या 24/2025 अनवान पार्वती बनाम शांति देवी इत्यादि का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में विचारण होने एवं अंतिम निस्तारण नहीं होने से अपीलांट की अपील खारीज की जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।**

प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एंव मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पोलाराम द्वारा अपने जीवनकाल में शांति व हेमाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निष्पादित करवाया गया था। जिसकी प्रार्थीनी को पूर्ण जानकारी थी। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पेश शपथ पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा निष्पादनकर्ता के सामने बतौर गवाह के रूप में अंगुठा निशान किये थे। उपरोक्त विवेचन, एव विशलेषण के आधार पर अस्थाई निशेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णिय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में साबित नही होते है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खारीज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....10-6-2025..... को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी